न्यायालय उपखण्ड अधिकारी साँगोद जिला कोटा।
बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 57/2015 दावा/बउनवान/प्रभूलाल/सीताराम वगैरा

प्रभूलाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति किराड निवासी ग्राम लसेडियाकलॉ तहसील साँगोद जिला कोटा।
—वादी—

—बनाम—

1. सीताराम आयु 51 साल पुत्र श्री कालूलाल जाति किराड निवासी ग्राम लसाडियाकलॉ तहसील साँगोद,
2. रामबिलास आयु 48 साल पुत्र श्री कालूलाल जाति किराड निवासी ग्राम लसाडियाकलॉ तहसील साँगोद,
3. रामदयाल आयु 42 साल पुत्र श्री कालूलाल जाति किराड निवासी ग्राम लसाडियाकलॉ तहसील साँगोद,
4. गायत्रीबाई आयु 45 साल पुत्री श्री कालूलाल जाति किराड निवासी ग्राम लसाडियाकलॉ तहसील साँगोद,
5. मोत्याबाई आयु 80 साल बेवा श्री कालूलाल जाति किराड निवासी ग्राम लसाडियाकलॉ तहसील साँगोद।
6. शंकरलाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति किराड निवासी ग्राम लसाडियाकलॉ तहसील साँगोद जिला कोटा।
7. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साँगोद जिला कोटा। —प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

——:: निर्णय ::—— दिनॉक :— 11.02.2023

वादी ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी कं. 1 ता 14 का खानदानी सज़रा हस्ब़ ज़ैळ है :—

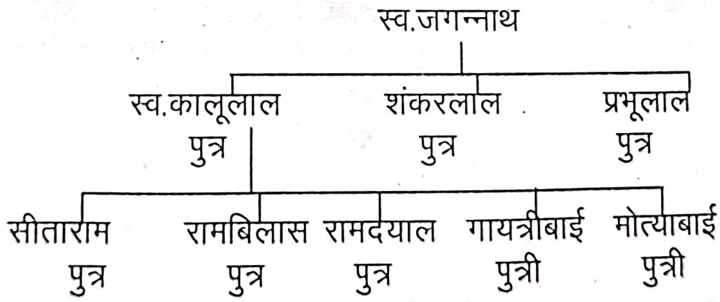

वादी ने वादपत्र में यह भी अंकित किया कि वादी व प्रतिवादी कं.. 1 लगायत 6 एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनके खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 9 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 10 रकबा 1.65 हैक्टर खसरा नंबर 11 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 12 रकबा 0.64 हैक्टर,

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

खसरा नंबर 13 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नंबर 166 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नंबर 214 रकबा 0.87 हैक्टर, खसरा नंबर 349 रकबा 0.31 हैक्टर कुल किता 9 की कुल 6.09 हैक्टर आराजी माल ग्राम लसाडियाकलॉ तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित है। उपरोक्त आराजी में वादी का 1/3हिस्सा व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 5 के पिता स्व.कालूलाल का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी कं. 6 का 1/3 हिस्सा निहित रहा है जिनके मध्य काफी वर्षो पूर्व मौके पर आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन हो गया था तथा वादग्रस्त आराजी के मौके पर आपसी सहमति से हुये पारिवारिक विभाजन के मुताबिक पक्षकारान अपने–अपने हिस्से व कब्जेकाश्त की आराजीयात को निम्न प्रकार से पृथक–पृथक काश्त करते चले आ रहे हैं :–

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
लसाडियाकलॉ	13पश्चिमी	0.16 हैक्टर
	14	1.32 हैक्टर
	166पश्चिमी	0.16 हैक्टर
	214पश्चिमी	0.29हैक्टर
	349पश्चिमी	0.11 हैक्टर
	कुल किता 5 की कुल	2.04 हैक्टर आराजी

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 1 लगायत 5 :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
लसाडियाकलॉ	9	0.01 हैक्टर
	10पूर्वी	1.46 हैक्टर
	166पूर्वी	0.16 हैक्टर
	214पूर्वी	0.29हैक्टर
	349पूर्वी	0.10 हैक्टर
	कुल किता 5 की कुल	2.02 हैक्टर आराजी

स. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 6 :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
लसाडियाकलॉ	10पश्चिम	0.19 हैक्टर
	11	0.02 हैक्टर
	12	0.64 हैक्टर
	13पूर्वी	0.63 हैक्टर
	166मध्य	0.16 हैक्टर
	214मध्य	0.29हैक्टर
	349मध्य	0.10 हैक्टर
	कुल किता 7 की कुल	2.03 हैक्टर

वादपत्र में यह भी अंकित किया कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में अंकितानुसार

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद जिला- कोटा

पक्षकारान यद्यपि अपने—अपने हिस्से व कब्जेकाश्त की आराजीयात को मौके पर पृथक—पृथक काश्त करते चले आ रहे हैं किन्तु मौके के कब्जेकाश्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक—पृथक खाते दर्ज नहीं होने के कारण वादी को अपने हिस्से व कब्जेकाश्त की आराजी पर कृषि विकास करवाने में काफी परेशानी होती है। दिनॉक 15.07.2015 को ग्राम पंचायत दिल्लीपुरा मुख्यालय पर शिविर का आयोजन था तो वादी ने प्रतिवादीगण से राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन करने को कहा तो सभी प्रतिवादीगण खाता विभाजन को तैयार हो गये व पटवारी हल्का ने भी मौका अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर लिया किन्तु ऐनवक्त पर प्रतिवादी क्रं. 6 ने विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया जिसके कारण सहमति से विभाजन नहीं हो सका तो वादकारण उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी माल ग्राम लसाडियाकलॉ तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वादपत्र का श्रवण करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः माल ग्राम लसाडियाकलॉ तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित वादग्रस्त आराजी का वादपत्र की चरण संख्या 3 के खण्ड अ,ब,स में अंकितानुसार पक्षकारान को पृथक—पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार पक्षकारान के खाते पृथक—पृथक दर्ज किये जाकर लगान राज भी पृथक—पृथक अंकित किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 5 की ओर से श्री बाबूलाल अरविन्द एडवोकेट द्वारा पेशी दिनांक 18.12.2015 को जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन किया और जवाबदावे में तथ्य अंकित किये कि वादी एवं प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 5 व प्रतिवादी क्रं. 6 के सम्मिलित खाते एवं कब्जेकाश्त की मुताबिक नकल जमाबन्दी खसरा नंबर 9 की 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 10 की 1.65 हैक्टर, खसरा नंबर 11 की 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 12 की 0.64 हैक्टर, खसरा नंबर 13 की 0.79 हैक्टर, खसार नंबर 14 की 1.32 हैक्टर, खसरा नंबर 166 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नंबर 214 रकबा 0.87 हैक्टर, खसरा नंबर 349 की 0.31 हैक्टर कुल किता 9 की कुल 6.09 हैक्टर आराजी स्थित है जिसमें वादी प्रभूलाल का 1/3 हिस्सा, हम प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 5 का सम्मिलित रूप से 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रं. 6 का 1/3 हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी अंकित है। उक्त वर्णित आराजीयात में से हम प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 5 के हिस्से में खसरा नंबर 9 की 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 10 की 1.65 हैक्टर, खसरा नंबर 166 की 0.48 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर पूर्वी तथा खसरा नंबर 349 की 0.31 हैक्टर में से 0.11 हैक्टर पूर्वी कुल किता 4 की कुल 1.93 हैक्टर हिस्से में आई थी जिस पर वर्षों पूर्व ही खसरा नंबर 9 की 0.01 हैक्टर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉगोद, जिला- कोटा

349 मध्य	0.10	चाही दोयम	2.7
कुल किता 6 की	कुल 1.73 हैक्टर		45.42

में ट्यूबवेल कराकर हम प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजीयात को सिंचित करते चले आ रहे हैं। साथ ही खसरा नंबर 11 की 0.02 हैक्टर आराजी में पुराना कुआं स्थित है जिसमें भी हम प्रतिवादीगण निरन्तर करते चले आ रहे हैं। साथ ही खसरा नंबर 214 रकबा 0.87 हैक्टर आराजी पर वर्षों से गोरधन पुत्र देवलाल जाति किराड निवासी ग्राम लसेडियाकलां काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जिसको वादी ने वाद में पक्षकार नहीं बनाया है जिसका पक्षकार बनाये बिना वादी का वाद चलने योग्य नहीं है तथा वादी एवं प्रतिवादी कं. 6 चतुर चालाक किस्म के व्यक्ति हैं जो बिना किसी कानूनी प्रावधानों के जबरन हमारे हिस्से एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात व खसरा नंबर 11 की 0.02 हैक्टर आराजीयात से जबरन हम प्रतिवादीगण को बेदखल कर देना चाहते हैं जिसका वादी व प्रतिवादी कं. 6 को कोई अधिकार नहीं है तथा हम प्रतिवादीगण को उनके हिस्से एवं कब्जेकाश्त की उक्त वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने उक्त वाद मिथ्या मनगढन्त तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय में पेश किया है। वादी को उक्त वाद में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात के बाबत सम्पूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करना चाहिये था जिसके अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं है व खारिज होने योग्य है। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे।

पक्षकारान के अभिवचनों की प्रस्तुति के उपरान्त इस न्यायालय द्वारा वाद में निम्नलिखित तनकियात कायम की :—

1. आया वादी माल ग्राम लसाडियाकलां तहसील सांगोद में स्थित वादग्रस्त 6.09 हैक्टर आराजी का पारिवारिक विभाजन अनुसार वादपत्र की चरण संख्या 3 के खण्ड अ, ब, स में अंकितानुसार पृथक–पृथक खाता विभाजन करवाने व लगान राज भी पृथक–पृथक अंकित करवाने का अधिकारी है।

—वादी—

2. आया वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी कं. 1 लगायत 5 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी कं. 6 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है जिसमें से खसरा नंबर 9 की 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 10 की 1.65 हैक्टर, खसरा नंबर 166 की 0.48 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर पूर्वी, खसरा नंबर 349 की 0.31 हैक्टर में से 0.11 हैक्टर पूर्वी कुल 4 किता की 1.93 हैक्टर प्रतिवादी कं. 1 लगायत 5 के हिस्से में आई है जिसमें खसरा नंबर 9 में प्रतिवादी कं. 1 लगायत 5 द्वारा ट्यूबवेल करवाकर सिंचाई कर रहे हैं।

—प्रतिवादी—

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला– कोटा

3. आया खसरा नंबर 214 रकबा 0.87 हैक्टर पर वर्षो से गोरधन पुत्र देवलाल जाति किराड निवासी ग्राम लसेडियाकलां काबिज होकर काश्त कर रहा है, जिसे पक्षकार नहीं बनाने से दावा चलने योग्य नहीं है। –प्रतिवादी–

4. अन्य अनुतोष ।

बाद कायमी तनकियात साक्ष्य वादी में वादी स्वयं द्वारा पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में बयान दिये गये तथा साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण की ओर से डी.डब्ल्यू. 1 सीताराम को परिक्षित करवाया गया। इसके अलावा अन्य गवाह प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्य बन्द की गई। पी.डब्ल्यू. 1 ने अपने बयानों में कहा कि गोरधन पुत्र देवराज को भूमि जुपत पर देता है व विवादित आराजी पर उसका किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। यदि वह जुपत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो सक्षम न्यायालय में अलग से वादपत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है तथा वादी ने वादपत्र के तथ्यों को अपने बयानों में दोहराते हुये दावा डिक्री करने का अनुरोध किया तथा डी.डब्ल्यू. 1 द्वारा मुख्य परीक्षा में जवाबदावे के तथ्यों को दोहराया किन्तु जिरह में वादपत्र की चरण संख्या 3 के खण्ड अ.ब.स में वर्णितानुसार पृथक–पृथक काश्त करना स्वीकार किया तथा वाद में वर्णित अनुसार खाते अलग–अलग करना स्वीकार किया है। उभय पक्षकारों की साक्ष्य प्रस्तुत होने के उपरान्त वकील पक्षकारान की बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली में तनकी संख्या 1, 2, 3 को बहक वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण तय करते हुये दावा वादी स्वीकार कर प्राथमिक निर्णय–डिक्री दिनांक 01.12.2020 को पारित कर तहसीलदार सांगोद को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश प्रसारित किया गये थे जिसकी अनुपालना में तहसीलदार सांगोद द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

तहसीलदार सांगोद द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक वादी व प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन करना उचित समझता हूं। लिहाजा वादी व प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से पृथक–पृथक खातेदार घोषित कर पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन किया जाता है :–

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी प्रभूलाल :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
लसाडियाकलां	13(पश्चिम)	0.16 हैक्टर	चाही दोयम	4.32
	14	1.32 हैक्टर	चाही दोयम	35.64
	166(पश्चिम)	0.15 हैक्टर	चाही दोयम	3.3
	349(पश्चिम)	0.10 हैक्टर	चाही दोयम	2.7
	कुल किता 4 की	कुल 1.73 हैक्टर		45.96

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 6 शंकरलाल :—

ग्राम	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
लसाडियाकलां	10 दक्षिण	0.19 हैक्टर	चाही दोयम	5.13
	11	0.02 हैक्टर	गै.मु.चाह	—
	12	0.64 हैक्टर	चाही दोयम	17.28
	13पूर्वी	0.63 हैक्टर	चाही दोयम	17.01
	166मध्य	0.15 चाही	सोयम	3.3
	349 मध्य	0.10	चाही दोयम	2.7
	कुल किता 6 की	कुल 1.73 हैक्टर		45.42

स. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 1 लगायत 5 सीताराम, रामबिलास, रामदयाल, गायत्रीबाई, मोत्याबाई हिस्सा बराबर जाति किराड सा0देह, रहन बी.आर.के.जी.बी. कमोलर :—

ग्राम	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
लसाडियाकलां	9	0.01 हैक्टर	गै.मु.ट्यूबवेल	—
	10उत्तर	1.46 हैक्टर	चाही दोयम	39.42
	166	0.15 हैक्टर	चाही सोयम	3.3
	349पूर्वी	0.11 हैक्टर	चाही दोयम	2.97
	कुल किता 4 की	कुल 1.73 हैक्टर		45.69

द. ग्राम लसाडियाकलां के खसरा नंबर 214 रकबा 0.87 हैक्टर पूर्ववत शामलाती खातेदारी में रहेगा।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान को पृथक—पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार पक्षकारान के खाते व लगान पृथक—पृथक अंकित किये जावें। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 11.02.2023 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

अन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बइजलास – राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 57/2015 दावा/बउनवान/प्रभूलाल/सीताराम वगैरा

प्रभूलाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति किराड निवासी ग्राम लसेडियाकलॉ तहसील सॉगोद जिला कोटा।
–वादी–

–बनाम–

1. सीताराम पुत्र श्री कालूलाल जाति किराड निवासी ग्राम लसाडियाकलॉ तहसील सॉगोद,
2. रामबिलास पुत्र श्री कालूलाल जाति किराड निवासी ग्राम लसाडियाकलॉ तहसील सॉगोद,
3. रामदयाल पुत्र श्री कालूलाल जाति किराड निवासी ग्राम लसाडियाकलॉ तहसील सॉगोद,
4. गायत्रीबाई पुत्री श्री कालूलाल जाति किराड निवासी ग्राम लसाडियाकलॉ तहसील सॉगोद,
5. मोत्याबाई बेवा श्री कालूलाल जाति किराड निवासी ग्राम लसाडियाकलॉ तहसील सॉगोद।
6. शंकरलाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति किराड निवासी लसाडियाकलॉ तहसील सॉगोद जिला कोटा।
7. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा। –प्रतिवादीगण–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मि.नं. 57/2015

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53 आर0 टी0 एक्ट,
तारीख फैसला दिनांक 11.02.2023 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....बहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि ... तहसीलदार सांगोद द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक वादी व प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन करना उचित समझता हूं। लिहाजा वादी व प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से पृथक–पृथक खातेदार घोषित कर पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन किया जाता है :–

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी प्रभूलाल :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
लसाडियाकलां	13(पश्चिम)	0.16 हैक्टर	चाही दोयम	4.32
	14	1.32 हैक्टर	चाही दोयम	35.64
	166(पश्चिम)	0.15 हैक्टर	चाही दोयम	3.3
	349(पश्चिम)	0.10 हैक्टर	चाही दोयम	2.7
	कुल किता 4 की	कुल 1.73 हैक्टर		45.96

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 6 शंकरलाल :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा	क़िस्म	लगान
लसाडियाकलां	10 दक्षिण	0.19 हैक्टर	चाही दोयम	5.13
	11	0.02 हैक्टर	गै.मु.चाह	–
	12	0.64 हैक्टर	चाही दोयम	17.28
	13पूर्वी	0.63 हैक्टर	चाही दोयम	17.01
	166मध्य	0.15 चाही	सोयम	3.3
	349 मध्य	0.10	चाही दोयम	2.7
	कुल किता 6 की	कुल 1.73 हैक्टर		45.42

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

स. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 1 लगायत 5 सीताराम, रामबिलास, रामदयाल, गायत्रीबाई, मोत्याबाई हिस्सा बराबर जाति किराड सा0देह, रहन बी.आर.के.जी.बी. कमोलर :-

ग्राम	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
लसाडियाकलां	9	0.01 हैक्टर	गै.मु.ट्यूबवेल	-
	10उत्तर	1.46 हैक्टर	चाही दोयम	39.42
	166	0.15 हैक्टर	चाही सोयम	3.3
	349पूर्वी	0.11 हैक्टर	चाही दोयम	2.97
	कुल किता 4 की	कुल 1.73 हैक्टर		45.69

द. ग्राम लसाडियाकलां के खसरा नंबर 214 रकबा 0.87 हैक्टर पूर्ववत शामलाती खातेदारी में रहेगा।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान को पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार पक्षकारान के खाते व लगान पृथक-पृथक अंकित किये जावें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज ———— मुबलिग ———— बाबत ———— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 11.02.2023 को जारी की गई।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला- कोटा

मुदई	रूपया	पैसै	मुददायलह	रूपया	पैसै
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला- कोटा